

मध्य प्रदेश शासन  
नर्मदा घाटी विकास विभाग  
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल-462004

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

क्रमांक एफ 13-8/2017/सत्ताईस-एक-राज्य शासन एतद द्वारा श्री नरेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, हरसूद की सेवाएँ स्वयं के व्यय पर मूल विभाग किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को वापिस लौटाता है।

2/- राज्य शासन एतद् द्वारा श्री चेताराम चंद्राकर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, कुक्षी को तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित करते हुये सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, हरसूद के पद पदस्थ करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एस.के.बघेल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

पृ0क्रमांक एफ 13-8/2017/सत्ताईस-एक,  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. सदस्य (पर्यावरण एवं वन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
3. संचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, भोपाल।
4. संचालक(प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. संचालक (कृषि) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
6. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. संभागीय भूमि संरक्षण अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, खण्डवा/इन्दौर।
8. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, कुक्षी/हरसूद।
9. निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी (स्व0प्र0), नर्मदा घाटी विकास विभाग भोपाल।
10. निज सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
11. श्री नरेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, हरसूद।
12. श्री चेताराम चंद्राकर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, कुक्षी।
13. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग